

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संख्या

दिनांक.....

कार्यालय आदेश

कर्मचारी परिषद् के Bye-laws में वर्णित कार्यकारिणी की अवधि (01 वर्ष) तथा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में उल्लिखित कार्यकारिणी की अधिकतम समयावधि (03 वर्ष) व्यतीत हो जाने के दृष्टिगत वर्तमान में विश्वविद्यालय की कर्मचारी यूनियन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद् की कार्यकारिणी विधिक रूप से अस्तित्व में नहीं है।

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या- ५A-18116-99

दिनांक- २५/०९/२६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/इंचार्ज, ल०वि०।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल०वि०।
4. वित्त अधिकारी, ल०वि०।
5. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०।
6. कुलानुशासक, ल०वि०।
7. मुख्य अभिरक्षक, ल०वि०।
8. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल०वि०।
9. अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय, ल०वि०।
10. निदेशक, आई०पी०पी०आर०, ल०वि०।
11. अधीक्षक, भूमि एवं उद्यान, ल०वि०।
12. समस्त अभिरक्षक/अभिरक्षिका, ल०वि०।
13. समस्त उपकुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14. समस्त सहायक कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
15. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने कष्ट करें।
16. कार्यालय प्रति।

Smida
कुलसचिव